

मद 4(1) (ख) - (xii)

आबंटित की गई राशियों सहित सब्सिडी/कार्यक्रमों के निष्पादन
स्वरूप तथा इन कार्यक्रमों के लाभार्थियों का ब्यौरा

12 आबंटित की गई राशियों सहित सब्सिडी/कार्यक्रमों के निष्पादन स्वरूप तथा इन कार्यक्रमों के लाभार्थियों का ब्यौरा।

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए कार्यालय ज्ञापन संख्या 44/19/2004-डी (आरई), दिनांक 18.03.2005 के अनुसार "ग्रामीण बिजली बुनियादी सुविधा और आवास विद्युतीकरण" स्कीम की राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के कार्यान्वयन के लिए, स्कीम के तहत परियोजनाओं की समग्र लागत के नब्बे प्रतिशत की पूंजी सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है।

इस कार्यक्रम के लाभार्थी संबंधित राज्य सरकारें होंगी।